फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर

श्रीमती शांतिदेवी

बनाम

सुखराम वगैरह

किस्म मुकदमा 225 आर.टी.एक्ट न. 35 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.09.2020	मुख्यालय बाड़मेर का पद रिक्त होने से अपील पत्रावली प्रथम लिंक अधिकारी राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष बाद जांच होकर पेश हुई। अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 225 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर सिवाणा द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 01/2016 बअनवान श्रीमती शांतिदेवी बनाम सुखराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 05.01.2016 के विरूद्ध पेश हुई। अपील अनुमति एवं मियाद के बिंदु को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर हो। अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया शामिल मिसल हो। अधिवक्ता अपीलांट की स्थगन प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ता सरकारी भूमि से दिया गया है लेकिन मौके पर अपीलांटस की भूमि से प्रस्तावित रास्ता निकालने हेतु रेस्पोडेंटस आमादा है यदि अपीलांटस अपने मकसद में सफल हो गये तथा रास्ता अपीलांट की खातेदारी भूमि से रास्ता निकाला जाता है तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अपीलांट की भूमि को छोड़कर प्रदत्त रास्ता सरकारी भूमि से निकाला जाता है तो अपीलांट को कोई आपति नहीं होगी। प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जावे। रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता सरकारी भूमि से दिया गया है। रेस्पोडेंट अपीलांट की भूमि से रास्ता निकालने पर आमदा नहीं है। रास्ता रेस्पोडेंट की मूलभूत आवश्यकता है जिसे प्राप्त करना रेस्पोडेंट का अधिकार है जिससे रेस्पोडेंट को वंचित नहीं किया जावे। अपीलांट का आवेदन रेस्पोडेंट के रास्ता में बाधा उत्पन्न नहीं करे उस स्तर तक स्वीकार फरमाया जाता है तो रेस्पोडेंट को कोई आपति नहीं होगी। उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ता सरकारी भूमि खसरा संख्या 130 में से दिया है एवं क्षतिपूर्ति राशि भी राजकोष में जमा कराई गई है इसलिए रास्ता भी खसरा संख्या 130 में से 12 बिस्वा भूमि की तरमीम की जाकर किया जाना है के फलस्वरूप अपीलांट के खातेदारी खेत में से रास्ता निकालना और उसमें तरमीम करना न्यायसंगत नहीं है। अतः आदेश दिये जाते है कि अपीलाधीन आराजी की पैमाईश करने के पश्चात अपीलार्थी के खेत को छोड़कर सरकारी भूमि खसरा संख्या 130 में से ही रास्ते की तरमीम की जावे। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	Mop

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner